

न्यायालय/कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

संख्या : 09 वर्ष 2023

दिनांक : मई 03, 2023

आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चमोली से पूर्व अनुमति एवं विचार-विमर्श के उपरान्त दण्डिक न्याय प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) एवं धारा 410 आदि में वर्णित विधिक उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग एवं सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित पूर्व में पारित आदेश संख्या 02/2022 दिनांकित 12.10.2022 को संशोधित करते हुए क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अग्रिम अन्यथा आदेश तक निम्नवत व्यवस्था की जाती है -

1- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जांच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा -

- (1) पुलिस थाना कर्णप्रयाग, राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील कर्णप्रयाग के भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से सम्बन्धित पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर संस्थित समस्त मामले।
- (2) पुलिस थाना कर्णप्रयाग, राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील कर्णप्रयाग के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत परिवाद।
- (3) समय-समय पर अंतरण से प्राप्त होने वाले वाद।

2- न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जांच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा -

- (1) पुलिस थाना-कर्णप्रयाग व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील कर्णप्रयाग के घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवाद/प्रार्थना पत्र।
- (2) समय-समय पर अंतरण से प्राप्त होने वाले वाद।

3- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

पत्रांक : 132(9)/2023, गोपेश्वर : दिनांक : मई 3, 2023
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित-

- 1- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चमोली को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित।

- 2- श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, चमोली।
- 3- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, चमोली।
- 4- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।
- 5- सिविल जज / न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।
- 6- सचिव, जिला बार संघ, गोपेश्वर-चमोली।
- 7- सचिव, जिला बार संघ, कर्णप्रयाग।
- 8- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, चमोली।
- 9- सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, चमोली।
- 10- गार्ड फाईल।

S. K. Singh
(सचिव कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।